23-1-2024HB-sahili-1 FINAL_Layout 1 22-01-2024 02:06 PM Page 1

छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
haribhoomi.com

हरिभूमि **सहेली**

मंगलवार
23 जनवरी 2024

गणतंत्र दिवस
विशेष

आज जब हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हैं तो उनकी राह आसान नहीं दिखती है। लेकिन महिलाओं ने संघर्ष किया और अपना विकास पथ बनाया। आज देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी ना हो। वे भारत के विकास की अहम कड़ी बन हमारे गणतंत्र को मजबूत बना रही हैं।

भारतीय गणतंत्र को सशक्त बना रही हैं महिलाएं

आवरण कथा / डॉ. मोनिका शर्मा

किसी भी राष्ट्र की बुनियाद उसकी पारिवारिक व्यवस्था होती है। हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने वाले नागरिक घर के आंगन में बड़े होते हैं। उनके विचार और व्यवहार को इसी परिवेश में वह दिशा मिलती है, जो देश की दशा बदल दे। इस मोर्चे पर घरेलू महिलाएं सैनिक-सी डटी नजर आती हैं। वहीं काम-काजी दुनिया में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका को हर पहलू पर सिद्ध किया है। परवरिश के दायित्व निर्वहन और पारिवारिक रिश्तों-नातों को पोसते हुए प्रोफेशनल वर्ल्ड में बढ़ती भारतीय महिलाओं की धमक इस गणतांत्रिक देश की गौरव गाथा का हिस्सा है।

जिजीविषा, जद्दोजहद और जीत

एक ओर महिलाएं काम-काजी महिला के रूप में नई इबारत लिख रही हैं तो दूसरी ओर घरेलू जिम्मेदारियां संभालते हुए देश की तरक्की की बुनियाद का पत्थर बन मन-जीवन को थामने का दायित्व भी निभा रही हैं। 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हमारे देश में आधी आबादी का यह सफर आसान नहीं रहा। भारतीय महिलाओं के भीतर बसी जिजीविषा ही है कि उनके कदमों की गति बनी रही। कभी साक्षर भर होने की लड़ाई लड़ने वाली महिलाएं अब उच्च शिक्षा की डिग्रियां ले रही हैं। हर वर्ष परीक्षा परिणामों में अव्वल आती बेटियों के चेहरे बताते हैं कि जद्दोजहद के बाद जीत निश्चित है। सबसे अहम यह है कि उनकी इस जीत में देश की व्यवस्था भी विजेता बन रही है। शिक्षित सजग बेटियां सैन्य मोर्चे से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक अहम हिस्सेदारी रखती हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में संविधान ने तो महिलाओं और पुरुषों को समान नागरिक अधिकार दिए, लेकिन इन अधिकारों को जीने के लिए आधी आबादी को अनगिनत मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं ने पूरे मनोयोग से हर स्तर पर यह लड़ाई लड़ी। जिजीविषा के बल

पर जद्दोजहद करते हुए स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने और गणतंत्र को सशक्त बनाने में प्रभावी भूमिका दर्ज कारवाई। विपरीत परिस्थितियों में भी सशक्त मन से उठाए सबल कदमों ने आधी आबादी की जीत सुनिश्चित की।

जागरुकता और जज्बातों का मेल

महिलाओं का सबल होना किसी भी सशक्त राष्ट्र की संजीवनी के समान होता है। बतौर नागरिक सशक्त व्यक्तित्व की धनी महिलाओं का मन संवेदनाओं से पूरित हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। भारतीय महिलाएं अपने मनोबल को कायम रखने और औरों के मर्म को समझने वाले व्यक्तित्व की धनी हैं। आज की महिलाएं जागरूक हैं तो जज्बातों को समझने वाली भी। मेहनती हैं तो अपनों की मान-मनुहार करने वाली भी हैं। सजग हैं तो सामाजिक भी। आधी आबादी की सबलता और मानवीय भावों की समझ का यह मेल समाज को पुख्ता आधार देता है। यही बुनियाद पूरी व्यवस्था को मजबूती से थामती है। आधी आबादी के समझ और संवेदनाओं भरे संघर्ष का ही परिणाम है कि सशक्त नागरिक की भूमिका को जी रहीं भारतीय महिलाएं सामाजिकता के रंग भी बचाए हुए हैं। जीवन के कितने ही रंगों को समेटे बदलाव और बेहतरी की मशाल थामे देश के विकास में भागीदार बन रही हैं। उनके इस हौसले के चलते ही बहुत कुछ बदला है। साथ ही बेहतरी के भावी बदलावों की आशाओं से भी हमारी झोली भरी है। जिस समाज में महिलाओं को अशक्त और आदर्श बनाकर दोयम दर्जे की नागरिक माना गया, वहां अनगिनत समस्याओं से लड़ते हुए स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना नई आशाओं को बल देता है। भारतीय गणतंत्र की मुकम्मल कामयाबी में आधी आबादी की भूमिका रेखांकित करने योग्य है।

समर्पण और सुदृढ़ सोच

भारतीय महिलाएं सधी सोच समर्पण के भाव संग समाज में नवसृजन-नवनिर्माण कर रही हैं। उनका चेतना संपन्न व्यक्तित्व नए मार्ग चुन नई मंजिलें तय कर रहा है। महिला मन के मजबूत इरादों से साल-दर-साल उपलब्धियां बढ़ ही रही हैं। महिला वोटर्स की सजगता और भागीदारी देखकर हर बार सुखद आश्चर्य होता है। पंचायती राजव्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी आधी आबादी का जुड़ाव बढ़ा है। साल 2023 में नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी वुमन रिजर्वेशन बिल संसद द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक में पार्लियामेंट और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। लंबा समय लेने के बावजूद इन बदलावों का धरातल पर उतरने का कारण महिलाओं की दृढ़ता ही है। भारतीय संविधान को बहुत सी आशाओं के साथ देश में लागू किया गया था। इन उम्मीदों में स्त्रियों के लिए समानता और सबलता का पक्ष सबसे अहम था। मौजूदा दौर में स्वतंत्र गणराज्य में देश की आधी आबादी का जीवन हर पहलू पर बदलाव का साक्षी बना है। देश की आजादी के आंदोलन से लेकर मौजूदा समय में राजनीतिक आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-पारिवारिक मोर्चों पर उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाएं आज स्वयंसिद्धा हैं।

अभिमत / प्रस्तुति : अंशु सिंह

हमारे संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारी परंपरागत सोच ऐसी रही है कि महिलाओं के विकास में बाधाएं बनी हुई हैं, इसका बड़े विवेक से सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम भारतीय गणतंत्र में अपनी सार्थक भागीदारी निभा सकेंगे।

गणतंत्र में ऐसे संभव है हमारी सार्थक भागीदारी

कृष्णा अग्निहोत्री, लेखिका

अब गणतंत्र ही नहीं, गुण तंत्र की अधिक आवश्यकता है, जो गणतंत्र का परिष्कृत रूप होगा। यह महिलाओं के गुण से ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि नारी सृजन में अत्यधिक प्रवीण है। उसके इस गुण से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित पद पाने में आसानी होगी। निर्वाचित महिला, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मातृ-स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी मुद्दे और योजनाओं पर अधिक विचार करेगी। राजनीतिक पार्टियों को टिकट बंटवारे में महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे और भी कल्याणकारी योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। मैं मानती हूं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय समाज और राजनीति में नारी की भागीदारी बढ़ाने के लिए उसे शिक्षा की सुविधा दी जाए, तो वे अपनी विजय का परचम लहराकर देश के गणतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

रीता गंगवानी, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच

भारतीय महिलाएं काफी हद तक सशक्त हो चुकी हैं। अब जरूरत है, लैंगिक समानता लाने की। क्योंकि महिलाएं आज भी समान वेतन के लिए संघर्षरत हैं। कार्यस्थल पर उनके लिए उपयुक्त और सुरक्षित माहौल का अभाव है। शादी करना या मातृत्व लाभ लेना उनकी पेशेवर तरक्की में बाधा बनती है। आज महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि देश में महिला साक्षरता दर बढ़ने से उनका आत्मविश्वास कई गुणा बढ़ा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में भी उनका दखल स्पष्ट दिखाई देने लगा है। महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन बिल' को मंजूरी मिलने के बाद एक उम्मीद जगी है कि इससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

प्रो. फरहाना कौसर, राजनीति शास्त्र विभाग, एएमयू

जब हम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की कितनी आजादी है। मसलन, पंचायती राज व्यवस्था को ही लें। वहां महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ज्यादातर मामलों में फैसले उनके पति लेते हैं। यह कैसी व्यवस्था है? जनता महिला उम्मीदवार को चुनती है, तो निर्णय लेने का अधिकार भी उनका ही होना चाहिए। अब जब 33 फीसदी आरक्षण के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने जा रही है, तो राजनीतिक दलों के साथ खुद महिलाओं को सोचना होगा कि वे किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में एक सार्थक और सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं, भारत के गणतंत्र को सशक्त बना सकती हैं।

मुमताज जे. शेख, एडवोकेट-सुप्रीम कोर्ट

आज के समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सभी जगहों में अहम भूमिका में हैं। वे विज्ञान जगत में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। बड़े-बड़े स्पेस मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। दरअसल, महिलाएं प्रतिदिन कई प्रकार की भूमिकाएं सहजता से निभाती हैं, जिस कारण उन्हें समाज की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में महिलाएं अपने नजरिए में बड़ा बदलाव लाकर खुद को सशक्त बना सकती हैं। अपने अधिकारों को पूरा लेने के लिए और समाज में न्याय, समानता बनाए रखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। गरीबी, दहेज प्रथा, अशिक्षा के संपूर्ण उन्मूलन और महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों और कानूनों के सार्थक कार्यान्वयन के लिए सख्ती से काम करना होगा, क्योंकि गणतंत्र की मजबूती के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। यह परिवार, समाज के साथ राष्ट्रोन्नति के लिए भी अति आवश्यक है।

नए कीर्तिमान / वीना गौतम

गणतंत्र का मजबूत पहिया हैं भारतीय महिलाएं

आजादी के बाद संविधान निर्मित 'भारतीय गणतंत्र' में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। राजनीति, शिक्षा, देश की आंतरिक-वाह्य सुरक्षा, मेडिकल, व्यवसाय, खेल, एयरोस्पेस और प्रौद्योगिकी से लेकर उद्यमिता, सामाजिक सक्रियता और कला-संस्कृति तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर अपनी भूमिकाएं ना निभा रही हों।

राजनीति-शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान : हाल के सालों में भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वे देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही हैं। आज वो प्रमुख पदों पर हैं, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे सर्वोच्च पद भी शामिल हैं। महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में भी हाल के दशकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भारतीय महिलाएं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की ही नहीं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाओं में भी शानदार उपस्थिति दर्शा रही हैं।

खेल में बढ़ा रही हैं देश का गौरव : महिलाओं ने खेल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे एथलीट, प्रशिक्षकों और प्रशासकों के रूप में प्रमुख पदों पर आसीन हुई हैं। उड़न परी पीटी उषा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, सायना मिर्जा, पीवी सिंधु और मैरी कॉम तक अनगिनत लड़कियों ने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाकर भारतीय खेलों को नई ऊंचाई दी है।

देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान

व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिलाएं विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नेतृत्व पदों पर कार्यरत हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में योगदान दे रही हैं।

एयरोस्पेस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान : भारतीय महिलाओं ने एयरोस्पेस के क्षेत्र में भी नई लकीर खींची है। वे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रशासकों के रूप में प्रमुख पदों पर आसीन हुई हैं। इसरो में महिलाओं ने एयरोस्पेस के क्षेत्र में पुरुष वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम किया है, वह अतुलनीय है।

भारतीय गणतंत्र में अमिट छाप : देखा जाए तो महिलाओं ने आजादी के बाद के पिछले कई दशकों में अपने सभी तरह के अधिकारों, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के बारे में भी हाल के सालों में जागरुकता बढ़ाने के लिए सभी संभव प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है। हर कार्यक्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की ही हैं, अपनी लगन और जिजीविषा से महिलाओं ने भारतीय गणतंत्र में अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ी है।

अप्रतिनिधित्व क्षेत्रों में डीलरशिप एवं ASM या SR हेतु संपर्क करें
Mobile: 92851 63700, Email: gdc.indore@gmail.com

भारतीय संविधान में स्त्री हो या पुरुष, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन पारंपरिक सामाजिक संरचना के चलते, महिलाएं आज भी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाती हैं। देश और आधी आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि हर स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो।

आह्वान / आशा शर्मा

स्वविवेक से हम करें अपने अधिकारों का उपयोग

भारत का संविधान लिखते समय बाबा साहब आंबेडकर और उनकी प्रारूप समिति द्वारा समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया था। आज हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं, क्योंकि इसमें समाज की आधी आबादी को भी पूरे अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान है, लेकिन क्या सामाजिक स्तर पर भी संविधान की पालना की जाती है? क्या

हमारा गण (समाज) भी तंत्र (संविधान) के समान महिलाओं को समता का अधिकार देता है? यदि नहीं तो महिलाओं के ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार हैं, जिन पर गण और तंत्र की सोच के बीच के मतभेद को मिटाने की पहल करने की जरूरत है। यहां हम ऐसे ही कुछ मौलिक अधिकारों की सामाजिक स्थिति को देखने का प्रयास कर रहे हैं।

मतदान का अधिकार: संविधान का अनुच्छेद 326 हमें मतदान का अधिकार देता है। हमारे देश में संविधान द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है। तंत्र के स्तर पर देखा जाए तो इसमें स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो आज भी अधिकांश महिलाओं के वोट की स्थिति परिवार के पुरुषों द्वारा निर्धारित की जाती है। महिलाओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने से पहले तक रटाया जाता है कि उन्हें किस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी है? सुनो स्त्रियों! अब दूसरों द्वारा निर्देशित इस मानसिकता से बाहर निकलने का समय आ गया है। स्वयं विचार करो, सोचो-समझो फिर सही प्रत्याशी को अपने मत के जरिए चुनो।

शिक्षा का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 21, भाग 3 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ-साथ सरकारें भी अपने स्तर पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल करते हुए उनके हित में अनेक योजनाएं लाती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सामाजिक स्तर पर आज भी महिला शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। कोई परिवार यदि एक ही बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है तो निश्चित रूप से वह बालक की शिक्षा को ही प्राथमिकता देगा बालिका की शिक्षा को नहीं। सुनो स्त्रियों! तुम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रह रही हो लेकिन बेटे के समान ही अपनी बेटी को भी शिक्षा का अधिकार अवश्य दिलाओ। ना भूलों कि बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की राह में यह पहला कदम है।

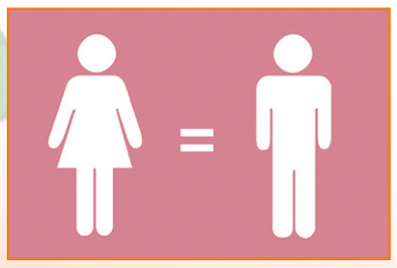

समान वेतन का अधिकार : संशोधित अधिनियम-1976, अनुच्छेद-141 के अनुसार, संविधान में समान पद पर समान वेतन का अधिकार प्रदत्त है। लेकिन सामाजिक स्तर पर महिलाओं को यह अधिकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित है। अन्य कई संस्थानों में आज भी महिला और पुरुषों के वेतनमान में असमानता देखी जाती है। यहां तक कि बहुत से संस्थान तो महिलाओं को अधिक महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी देने से भी कतराते हैं। असंगठित क्षेत्रों में तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगभग आधी पगार ही दी जाती है। सुनो स्त्रियों! अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से ना झिझको। आंदोलन करो और अपना हक लेकर ही मानो।

संपत्ति में अधिकार : हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, भारतीय संविधान महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी बराबर का अधिकार देता है। लेकिन अपने आस-पास के समाज में निगाह दौड़ाएं तो ऐसे कितने परिवार हैं, जो इस कानून को मानते हैं? आज भी पैतृक संपत्ति घर के बेटों में ही बराबर बंटती है। हां, कानून की निगाहों में धूल झोंकने के लिए अवश्य महिलाओं से उनके हिस्से की संपत्ति को भाइयों के हक में रिलीज करवा लिया जाता है। सुनो स्त्रियों! अपनी भावनाओं से खेलने का हक किसी को ना दो। अपने अधिकार का हिस्सा लेने में कैसी शर्म? जरूरत पड़े तो अपने अधिकार के लिए कानून का सहारा लो।

जीवनसाथी चुनने का अधिकार : संविधान का अनुच्छेद 21 महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। लेकिन क्या सचमुच महिलाएं ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं? सच यह है कि आज भी उनकी सोच पर परिवार और समाज का पहरा होता है। आज भी अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने वाली लड़की को समाज तिरछी निगाह से देखता है। ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सुनो स्त्रियों! अपने मन की सुनो। बिना किसी दबाव के अपना जीवनसाथी चुनो, क्योंकि उसके साथ जीवन तुम्हें बिताना है, समाज को नहीं।

सिर्फ यहां बताए गए अधिकार ही नहीं, ऐसे ही और भी बहुत से अधिकार हैं, जो हमारे संविधान और शासनतंत्र ने तो दिए हैं लेकिन गण द्वारा उनकी अनुपालना नहीं की जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अधिकार थाली में परोसकर नहीं मिलते, उनके लिए आवाज उठानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। प्रवाह में रुकावटें आना स्वाभाविक सी बात है लेकिन इस तरह की बाधाओं से घबराकर आवाज उठानी बंद मत कर देना। भरोसा रखों, वो समय अवश्य आएगा, जब आधी आबादी को पूरे अधिकार मिलेंगे। तब तक प्रयास और निरंतर संघर्ष करते रहना होगा।

गौरवमयी अतीत / शिखर चंद जैन

कई महिलाओं ने निभाई संविधान निर्माण में अहम भूमिका

26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, उसके निर्माण में महिलाओं ने भी महती भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में सम्मिलित कुछ महिला हस्तियों की भूमिका पर एक दृष्टि।

हालांकि भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से सिर्फ 15 महिलाएं ही थीं। लेकिन इन महिलाओं ने इसमें बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। ये महिलाएं थीं-अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, एनी मसकाराने, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से हम आपको उन महिलाओं के बारे में यहां बता रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, जबकि उनकी भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।

दक्षयानी वेलायुधन

4 जुलाई 1912 को कोचीन के बोलागेटी आईलैंड के एक दलित परिवार में दक्षयानी वेलायुधन का जन्म हुआ था। 1945 में उन्हें राज्य सरकार द्वारा कोचीन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना गया। वे 1946 में संविधान सभा में चुनी जाने वाली पहली और अकेली दलित महिला थीं। दक्षयानी ने संविधान निर्माण के दौरान दलित अधिकारों की बात उठाई। वे असेंबली की सबसे युवा सदस्य थीं। उन्होंने भरी सभा में कहा कि जातिगत भेदभाव या संप्रदायवाद चाहे वह किसी भी रूप में हो, राष्ट्रीयता की भावना के खिलाफ है। लेकिन वे अनुसूचित जाति के नाम पर आरक्षण के पक्ष में भी नहीं थीं।

बेगम एजाज रसूल

बेगम एजाज का जन्म एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी शादी जमींदार नवाब एजाज रसूल से हुई। संविधान सभा की वह अकेली मुस्लिम महिला सदस्य थीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम लागू होने पर उन्होंने अपने पति के साथ मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। इसके बाद वे चुनावी राजनीति में सक्रिय हो गईं। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुनी गईं और 1969 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। बेगम एजाज रसूल ने आरक्षण को एक आत्मघाती कदम बताया था। उनका मानना था कि यह अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात को पुरजोर तरीके से रखा। उनकी सलाह थी कि इसे सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र निकाय नियुक्त होना चाहिए।

पूर्णिमा बनर्जी

पूर्णिमा बनर्जी, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की सचिव थीं। 1930-40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में उनका प्रमुख नाम था। सत्याग्रह आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। समाजवादी विचारधारा पर उनके भाषण बेहद प्रभावशाली होते थे। उन्होंने ट्रेड यूनियन, किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए काफी काम किया। पूर्णिमा बनर्जी महिलाओं को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात पर हमेशा जोर देती रहीं। उन्होंने कारागार में बंद लोगों के अधिकारों पर भी लंबी बहस की थी।

राजकुमारी अमृत कौर

लखनऊ में जन्मी राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। इस पद पर वे 10 वर्षों तक रहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से की। बाद में वे 16 वर्षों तक महात्मा गांधी की सचिव रहीं। वे दिल्ली स्थित एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संस्थापकों में से एक थीं। वे महिलाओं को शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में समान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जरूरी मशविरा देते हुए समान नागरिक कानून की बात भी उठाई। उनके मुताबिक यूसीसी महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार सुनिश्चित कर सकता है।

गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी नारीशक्ति की शान

गर्वायोजन / शैलेंद्र सिंह

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक के हमारे भारत में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। इसी क्रम में इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर महिला सैनिकों की भरपूर जांबाजी देखने को मिलेगी।

बहुत कुछ दिखेगा पहली बार

इस साल गणतंत्र दिवस परेड को साल 2019 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्वेता के. सुगाथन लीड करेंगी। इस परेड में दिल्ली पुलिस की हेड महिला कांस्टेबलों के साथ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, नौसेना, वायु सेना सहित सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक की सभी महिला टुकड़ियां भी शामिल होंगी, जिनमें सैन्य नर्सिंग सेवा और महिला डॉक्टर भी शामिल होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस की मार्चिंग परेड में तीनों सेनाओं की अग्निवीर महिला सैनिक भागीदारी करेंगी। इस बार की परेड में आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स की महिला सैनिकों का जॉइंट दस्ता भी होगा, जिन्हें तीनों सेनाओं की महिला ऑफिसर एक साथ परेड में लीड करेंगी। अब के पहले कभी भी तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में एक साथ शामिल नहीं हुआ। इसलिए यह ऐतिहासिक घटना होगी। इसकी घोषणा पिछले साल ही कर दी गई थी।

परेड की थीम होगी नारीशक्ति

भारत में गणतंत्र दिवस परेड, सैन्य समारोह के मामले में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसे में इस बार कर्त्तव्य पथ पर महिला सैनिकों की परेड देखना, एक नए युग को करवट लेते देखना होगा। सिर्फ महिला सैनिकों की परेड ही नहीं होगी बल्कि इस परेड में झांकी और परफॉर्मेंस में भी महिलाएं ही शामिल होंगी। मार्चिंग बैंड भी महिलाओं का ही होगा। हालांकि साल 2015 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला अफसरों के दस्ते ने शिरकत की थी और साल 2023 की परेड में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की झांकियों में भी नारी शक्ति की झलक दिखी थी। लेकिन पूरी तरह से परेड की थीम नारी शक्ति पर पहली बार रखी गई है।

बढ़ रही महिला भागीदारी

दिल्ली पुलिस के महिला पाइप बैंड का नेतृत्व भी एक महिला अधिकारी रुयांगुनुओ केंसे करेंगी। वास्तव में केंद्र सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस परेड की पूरी थीम को महिला भागीदारी से ओत-प्रोत रखा है। इस फैसले के चलते कर्त्तव्य पथ पर इस साल हर तरफ देश का परचम लहराती हुई महिलाएं नजर आएंगी। हालांकि यह अचानक नहीं हो रहा, वर्तमान केंद्र सरकार लगातार सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और अब सेना के तमाम क्षेत्रों में भविष्य का नेतृत्व महिलाओं को सौंपे जाने की तैयारी हो रही है। भारतीय सेना जल्द ही आर्टिलरी रेजीमेंट में महिलाओं को कमान सौंपने की तैयारी कर रही है।

सेना में दिख रहे कई बदलाव

हालांकि यह बहुत साहसी फैसला है कि कर्तव्य पथ पर मार्चिंग बैंड सिर्फ महिलाओं का हो, क्योंकि अभी तक मार्चिंग दस्ते में भी और मार्चिंग बैंड में भी पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन अब धीरे-धीरे स्थितियां हर तरफ बदल रही हैं और आने वाले दिनों में ऐतिहासिक रूप से बदली हुई दिखेंगी। भारत की तीनों सेनाओं में आने वाले दिनों में महिलाएं, पुरुषों के बराबर भूमिकाओं में मौजूद होंगी। वे लड़ाकू विमान उड़ाएंगी, युद्धपोतों की कमान संभालेंगी और इंफैंट्री टैंक और कॉम्बैट में भी पॉजिशन लेती हुई दिखेंगी। उन्हें स्थाई कमीशन देकर कमांड भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। कर्नल गीता राणा कुछ दिनों पहले चीन की सीमा से लगे संवेदनशील लद्दाख के क्षेत्र में एक स्वतंत्र इकाई की कमान संभाल चुकी हैं, जो पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। इसी साल हिंदुस्तान में अपनी किसी महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचीन में तैनात किया है। भारतीय सेना में हो रहे ये तमाम ऐतिहासिक बदलाव इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में दिखेंगे। सेना में आधी आबादी महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर रही है। यह अकारण नहीं है कि भारत ने पहली बार सूडान के अबेई जैसे जोखिम भरे क्षेत्र में 27 महिला शांति सैनिकों की अपनी टुकड़ी तैनात की है। इन सब ऐतिहासिक हलचलों के बीच गणतंत्र दिवस परेड का खास होना स्वाभाविक है। वैसे भी यह 75वां गणतंत्र दिवस है, जो कि आजादी के बाद के लोकतांत्रिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ऐसे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका निश्चित ही गर्व करने योग्य है।

लघुकथा / ललित शौर्य

लक्ष्मीबाई ब्रिगेड

अनुराधा मोहल्ले में नई-नई आई थी। आते ही उसने पूरे मोहल्ले की महिलाओं का दिल जीत लिया। वह गाती बहुत सुरीला है। अब तो वह किटी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी और बर्थ-डे पार्टीज की जान बन गई है। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके मीठे गायन की तरह उसका व्यवहार भी सबके प्रति बहुत मीठा रहता है।

गणतंत्र दिवस नजदीक था। अनुराधा ने मोहल्ले की महिलाओं से पूछा, 'आप लोगों का इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या प्लान है? कोई धमाकेदार तैयारी करते हैं, जो कुछ अलग हटकर हो।'

'अरे गणतंत्र दिवस तो बच्चे और पुरुष मनाते हैं। हम महिलाएं कहां इसे मनाती हैं, घर के कामों में बस लगी रहती हैं।' ममता बोली।

'ममता ठीक कहती है, हमारे मोहल्ले में तो हमेशा बच्चे और पुरुष ही गणतंत्र दिवस पर प्रभात-फेरी निकालते हैं। पुरुष समारोह का आयोजन और संचालन करते हैं। महिलाएं इन आयोजनों में कोई हिस्सेदारी नहीं निभातीं।' सरिता ने बताया।

अनुराधा यह सब सुनकर चौंकी, बोली, 'ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान ने हम महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं। आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए कई कानून बनाए गए हैं। नारी शक्ति वंदन बिल भी पिछले दिनों संसद में पास हुआ है। ऐसे में हमें अपने संविधान और देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा? मैं तो कहती हूं, हम सब मिलकर लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बना लेते हैं। गणतंत्र दिवस वाले दिन हमारे ब्रिगेड की परेड अलग से निकले। उस दिन हम देशभक्ति के गीत गाएं, साथ में अन्य आयोजन भी करें।'

'ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तुम ठीक कहती हो अनुराधा। हम आज से ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर देते हैं।' ममता उत्साह से बोली। मोहल्ले की अन्य महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम के लिए सहमति दे दी।

अगले ही पल मोहल्ले की लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का गठन हो गया। इस ब्रिगेड ने एक भव्य आयोजन की योजना बनाई। बड़े-बुजुर्गों ने जब गणतंत्र दिवस पर इस तरह महिलाओं की भागीदारी की बात सुनी तो उन्होंने इसकी सराहना की। उन्हें अपने मोहल्ले की महिलाओं पर गर्व महसूस हो रहा था।